

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री श्रीराम सिंह) : (क) कृपया केन्द्रीय संरक्षण स्मारकों/स्थानों की अखिल भारतीय सूची देखें जो संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) जी नहीं।

(ग) (एक) मंदिर के संरक्षण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। (दो) क्योंकि ओरछा महलों तथा अन्य स्मारकों को संरक्षण देने के लिए राज्य सरकार राजी हो गई थी इसलिए महल के केन्द्र द्वारा संरक्षण के प्रश्न को छोड़ दिया गया था।

(घ) जी नहीं।

(ङ) स्पृष्ट मन्दिर: इसके संरक्षित होने के बाद ही इसकी मरम्मत के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

ओरछा महल: ये केन्द्रीय संरक्षण में नहीं हैं, इसलिए मरम्मत की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

दिल्ली में जालसाजी के मामले

6695. श्री क० मिं० मधुकर:

श्री रामावतार शास्त्री:

श्री चन्द्र शेखर सिंह:

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 29 जालसाजी की घटनाएं होती हैं;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन जालसाजी की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने में सफल नहीं रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसी घटनाएं केवल वर्षा ऋतु में हो बढ़ती हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस ऋतु में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपाय किये गए हैं?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) . संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 1-1-1967 से 15-7-1967 तक की अवधि के दौरान पुलिस के पास जालसाजी के केवल 86 मामले दर्ज कराये गये जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 123 मामले दर्ज हुए थे। मामलों में कमी हुई है। यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे मामलों में वर्षा ऋतु में वृद्ध हो जाती है।

पुलिस अधीक्षक, अपराष्ठ तथा रेलवे की देख रेख में जालसाजी के बड़े बड़े मामलों पर कार्यवाही करने के लिए एक विशेष दस्ता (जालसाजी विरोधी दस्ता) काम कर रहा है।

Civil Servants on Deputation to the Central Government

6696. Shri M. L. Sondhi:

Shri Hardayal Devgun:

Shri Brij Bhushan Lal:

Shri O. P. Tyagi:

Shri Beni Shanker Sharma:

Shri Onkar Lal Berwa:

Shri Bharat Singh Chauhan:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of Civil Servants who are on deputation to the Centre